

92095
10/1/2021


उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1

संख्या- 86 /सत्तर-1-2022-16(28)/2013

लखनऊ : दिनांक : 07 जनवरी, 2022

37

कार्यालय-ज्ञाप


11-01-2022

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा के उप कुलसचिव के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-09(5)/02/पी./एस-3/2021-22 दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित उप कुलसचिवों को कुलसचिव (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड पे0 7,600) के पद के सापेक्ष कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत करते हुए तैनाती के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं :-

क्रम सं०	नाम	वर्तमान पद/तैनाती	पदोन्नति के फलस्वरूप पद/तैनाती
1	वीरेन्द्र प्रसाद कौशल	उप कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	कुलसचिव, आजमगढ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ
2	महेश कुमार	उप कुलसचिव, जननायक चन्द्र शेखर विश्वविद्यालय, बलिया	कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ
3	अर्चना जौहरी	उप कुलसचिव, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ	परीक्षा नियंत्रक, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
4	विनय कुमार सिंह	उप कुलसचिव, डॉ० राम मनोहर लोहिया अग्र विश्वविद्यालय, अयोध्या	कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
5	विद्यानन्द त्रिपाठी	उप कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	परीक्षा नियंत्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
6	वीरेन्द्र कुमार मौर्य	उप कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	कुलसचिव, मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर
7	भावना मिश्र	उप कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	परीक्षा नियंत्रक, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

2- कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक पद पर नियुक्त उक्त अधिकारियों की सेवायें समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1975 में निहित प्राविधानों से शासित होंगी तथा वे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की जाएगी।

3- उक्त अधिकारियों को कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जाता है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

4- एतद्वारा कुलसचिवों की पारस्परिक ज्येष्ठता यथासमय यथानियम निर्धारित की जायेगी।

मोनिका एस० गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- १६ (1)/सत्तर-1-2022, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) संयुक्त सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-09(5)/02/पी./एस-3/2021-22 दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के संदर्भ में।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (3) कुलपति, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय।
- (4) कुलसचिव, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय।
- (5) वित्त अधिकारी, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय।
- (6) सम्बन्धित अधिकारीगण।
- (7) व्यक्तिगत पत्रावली।
- (8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।